छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

सोमवार, दिनांक 25 फरवरी, 2008

तारांकित प्रश्नोत्तर

रायगढ़ जिले में विभिन्न अपराधों के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

1. (*क्र. 27) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में थानावार मौत, हत्या का प्रयास, दहेज प्रताड़ना, बलात्कार, डकैती, लूट एवं चोरी के कितने-कितने प्रकरण 2006-2007 एवं 2007-2008 में दिनांक 31-1-08 तक दर्ज हुए हैं ? (ख) उपरोक्त में से थानावार कितने प्रकरणों में अपराधी पकड़े गये ? कितने चालान पेश हुए तथा कितने प्रकरणों में 31-1-08 तक अपराधी नहीं पकड़े गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायगढ़ जिले में मौत, हत्या का प्रयास, दहेज प्रताड़ना, अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूट एवं चोरी के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में 31-1-08 तक दर्ज थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) रायगढ़ जिले में वर्ष 2006-07, 2007-08 में 31-1-08 तक पकड़े गये अपराधी, चालान पेश हुए तथा अपराधी नहीं पकड़े गये हैं की थानावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

प्रशासकीय स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्ताव

2. (*क्र. 177) **श्री निर्मल सिन्हा :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र मालखरौदा में सड़कों के कितने प्रस्ताव/स्टीमेट्स प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कब-कब से किन-किन कारणों से लंबित है ? (ख) लंबित प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदाय कर देंगे ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) परिशिष्ट † संलग्न है. (ख) निश्चित तिथि बतलाया जाना संभव नहीं है.

लापता आदिवासी युवक-युवतियों की पतासाजी

3. (*क्र. 287) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में 31-1-08 तक कितने-कितने आदिवासी युवक-युवतियों के लापता होने की थानावार शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? थानावार जानकारी देवें ? (ख) लापता युवक-युवतियों में 31-1-08 तक कितनों की पतासाजी करने में सफलता मिली है ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) आदिवासी युवक-युवतियों के वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में दिनांक 31-1-08 तक लापता होने की जिलावार एवं थानावार शिकायत:—

1. रायगढ़ जिला अंतर्गत थानावार जानकारी प्रपत्र "अ" में †† संलग्न है.
2. जशपुर जिला अंतर्गत थानावार जानकारी प्रपत्र "ब" में †† संलग्न है.

(ख) लापता युवक-युवतियों में 31-1-08 तक जिला रायगढ़ में युवक-22, युवती-33 एवं जशपुर में युवक-12, युवती -41 की पतासाजी करने में सफलता मिली है.

† परिशिष्ट "एक"

†† परिशिष्ट "दो"

जिला जेल दंतेवाड़ा में जेल ब्रेक कर कैदियों के फरार होने संबंधी

4. (*क्र. 336) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जेल दन्तेवाड़ा में 16 दिसम्बर की स्थिति में कुल कितने कैदी थे ? कैदियों के रखने की क्षमता कितनी है ? जेल ब्रेक कर कितने कैदी फरार हुए ? (ख) दन्तेवाड़ा जिला जेल में कौन-कौन से पद कितने-कितने स्वीकृत हैं ? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने-कितने पद रिक्त हैं ? जेल ब्रेक घटना के समय कार्यरत में से कितने ड्यूटी पर थे ? (ग) 26 जनवरी, 2008 की स्थिति में कितने कैदी पकड़े जा चुके हैं, वर्तमान में जेल में कैदियों की कितनी संख्या है ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जेल दन्तेवाड़ा में दिनांक 16-12-2007 की स्थिति में कुल 377 बंदी परिरुद्ध थे. जिला जेल दन्तेवाड़ा में 250 बंदियों की रखने की क्षमता है. दिनांक 16-12-2007 को जिला जेल दन्तेवाड़ा में परिरुद्ध 299 बंदी जेल ब्रेक कर फरार हुए. (ख) जिला जेल दन्तेवाड़ा में स्वीकृत पद एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में अंकित है. जेल ब्रेक की घटना के समय जिला जेल दन्तेवाड़ा में कार्यरत 02 मुख्य प्रहरी एवं 02 प्रहरी ड्यूटी पर थे. (ग) 26 जनवरी, 2008 की स्थिति में 50 बंदी पकड़े जा चुके हैं. वर्तमान स्थिति में जिला जेल दन्तेवाड़ा में 113 बंदी परिरुद्ध है.

केन्द्र सरकार से प्राप्त आवंटन

5. (*क्र. 557) **श्री अमरजीत भगत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं नक्सली समस्या से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में कितनी धनराशि, बटालियन एवं नए पदों की स्वीकृति मिली है, कितने रिक्त पद भरे गये हैं, कितने शेष हैं ? (ख) उक्त अवधि में नक्सली वारदात की घटना में कितने ग्रामीण एवं पुलिस कर्मी मारे गये ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सली समस्या से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से वर्ष 2005-06 में रुपये 47,39,22,930/-, 2006-07 में रुपये 62,96,46,150/- एवं 2007-08 में रु. 15,77,33,750/- की धनराशि तथा दो नई भारत रक्षित वाहिनी के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई. उक्त दो वाहनी के स्वीकृत 1806 नये पदों में से वर्ष 2005-06 में 892 एवं 2006-07 में 902 स्वीकृत पदों पर भर्ती की जा चुकी है. अनुसचिवीय बल के 12 पदों पर भर्ती शेष है. (ख) प्रदेश में वर्ष 2005-06 में 239, 2006-07 में 242 एवं 2007-08 (अप्रैल 2007 से जनवरी 2008 तक) में 121 ग्रामीण मारे गये एवं वर्ष 2005-06 में 65, 2006-07 में 50 एवं 2007-08 (अप्रैल 2007 से जनवरी 2008 तक) में 88 पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं.

एन्यूटी पर आधारित सड़क निर्माण कार्यों हेतु अनुबंध

6. (*क्र. 510) **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एन्यूटी पर आधारित सड़क निर्माण कार्यों के लिये अनुबंध किया गया है ? (ख) यदि हां, तो प्रति रुपये 100/- सड़क निर्माण लागत पर 15 वर्षों में अनुबंध अनुसार एन्यूटी के तहत् कितना भुगतान किया जावेगा ? (ग) जिस कंपनी से एन्यूटी का अनुबंध किया गया है उस कंपनी द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट में भरी गई मूल दरों के अनुसार प्रति रुपये 100/- सड़क निर्माण लागत पर 15 वर्षों में एन्यूटी के तहत् कितना भुगतान मांगा गया था.

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. (ख) चूंकि अभी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं. अतः एन्यूटी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि की गणना किया जाना संभव नहीं है. (ग) राशि 351 रुपये.

स्वीकृत सड़कों एवं पुल पुलियों के निर्माण की स्थिति

7. (*क्र. 318) **श्री चुरावन मंगेशकर :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र जरहागांव में वित्तीय वर्ष 2006-07 में किन-किन सड़कों एवं पुल-पुलिया के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई थी ? (ख) स्वीकृत सड़क एवं पुलिया में कितने कार्य विभाग द्वारा एवं कितने कार्य ठेके के माध्यम से कराये गये ? (ग) वर्ष 2006-07 में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क), (ख) एवं (ग) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में.

---

† परिशिष्ट "तीन"   †† परिशिष्ट "चार"

राजनांदगांव में फूड पार्क निर्माण संबंधी

8. (*क्र. 360) **श्री उदय मुदलियार :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजनांदगांव जिले में फूड पार्क (गन्ना) प्रस्तावित है, अगर हां, तो किस ग्राम में एवं फूड पार्क के लिए कितनी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है ? शासकीय एवं निजी भूमि की पृथक-पृथक जानकारी दी जावे. (ख) फूड पार्क का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाना है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां, राजनांदगांव जिले में ग्राम इन्दावानी में 136.735 हेक्टेयर में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना की जाना है. जिसमें शासकीय भूमि 51.105 एवं निजी भूमि 85.630 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया जाना है. (ख) फूड प्रोसेसिंग पार्क का निर्माण मेसर्स रैमकी फूड्स (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, आर-9, अनुपम नगर, रायपुर द्वारा किया जाना है.

प्रदेश की जेलों से फरार कैदी/नक्सलियों की जानकारी

9. (*क्र. 219) **श्री नोवेल कुमार वर्मा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश की जेलों में सजा काट रहे कैदियों एवं नक्सलियों में से कितने कैदी फरार हो चुके हैं ? जेल का नाम, फरार होने वाले कैदियों की संख्या, फरार होने के दिनांक की जानकारी जिलेवार, जेलवार प्रदान करें ? (ख) फरार कैदियों में से कितने को पकड़ा गया है ? (ग) उक्त जेलों में कैदियों की क्षमता कितनी-कितनी थी और कितने-कितने कैदी बंद थे ? जेलवार संख्या प्रदान करें ? (घ) कैदियों की फरारी हेतु दोषी अधिकारी कौन-कौन है ? दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) उक्त अवधि में 89 नक्सली बंदी फरार हुए हैं. जेल का नाम, फरार होने वाले बंदियों की संख्या, फरार होने के दिनांक की जानकारी जिलेवार, जेलवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में अंकित है. (ख) दिनांक 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश की जेलों में दण्डित बंदियों एवं नक्सलियों में से फरार 94 बंदियों में से 02 दण्डित बंदी एवं 02 नक्सली बंदी पुनः गिरफ्तार होकर जेल प्रविष्ट हो चुके हैं. (ग) घटना दिनांक को उक्त जेलों की बंदी क्षमता एवं निरुद्ध बंदी संख्या विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" में अंकित है. (घ) बंदियों की फरारी हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" में अंकित है.

बरपाली से गिरौदपुरी मार्ग निर्माण में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

10. (*क्र. 681) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2007-08 में विकासखण्ड कसडोल में बरपाली से गिरौदपुरी जाने की सड़क के घटिया निर्माण की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो कब ? (ख) उक्त शिकायत के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां, दिनांक 14-1-2008 को. (ख) कार्यपालन अभियंता द्वारा जांच कराया गया.

जिला कोरबा की सड़कों के निर्माण हेतु प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति

11. (*क्र. 528) **श्री बोधराम कंवर :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले की किन-किन सड़कों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है ? विकासखण्डवार लागत सहित विस्तृत जानकारी दें ? (ख) वर्ष 2007-08 के बजट में सम्मिलित किन-किन सड़कों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? विकासखण्डवार पूर्ण जानकारी दें ? (ग) उक्त में से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, कृपया बताने का कष्ट करें ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) प्रपत्र "अ" † संलग्न है. (ख) एवं (ग) प्रपत्र "ब" † संलग्न है.

† परिशिष्ट "पांच"

दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक संबंधी

12. (*क्र. 422) **श्री भूपेश बघेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक के मामले में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) जेल ब्रेक कर भागे गये कैदियों में से कितनों को पकड़ा जा चुका है तथा कितने फरार हैं ? फरार कैदियों को पकड़ने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक के मामले में प्रथमदृष्टया लापरवाही पाये जाने के आरोप में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही † संलग्न परिशिष्ट में अंकित है. (ख) जिला जेल दन्तेवाड़ा से दिनांक 16-12-2007 को जेल ब्रेक कर भागे गए 299 बंदियों में से दिनांक 7-2-2008 तक 53 बंदियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया जा चुका है.

जैविक खाद खरीदी में अनियमितता की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

13. (*क्र. 523) **श्री त्रिलोचन पटेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जैविक खाद खरीदी में वर्ष 2001-2002 में बरती गई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ? (ख) जांच में किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया है ? नाम व पद सहित जानकारी दें ? (ग) कंडिका "ख" के दोषियों के खिलाफ कौन सी शास्तियां अधिरोपित की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां, दिनांक 4-12-2003. (ख) जांच में अपर संचालक कृषि, जिला विपणन अधिकारी, उप संचालक कृषि एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा अनियमितता किए जाने का उल्लेख है. संबंधित विभाग तथा संस्थाओं में पदस्थ तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पदनाम परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ग) प्रकरण आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया है. प्रकरण में जांच क्र. 2/06 दर्ज कर जांच की जा रही है.

साजा विधान सभा क्षेत्र के बजट में सम्मिलित कार्यों की स्थिति

14. (*क्र. 543) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2007-08 के बजट में साजा विधान सभा क्षेत्र के शामिल कार्यों में से कितने कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित कार्यों में से कितने कार्य प्रारंभ तथा कितने पूर्ण हुए हैं ? (ग) साजा क्षेत्र सड़क निर्माण के कितने कार्यों में गुणवत्ता खराब होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) कुल 26 कार्य. (ख) प्रारंभ 7 कार्य, पूर्ण निरंक. (ग) 3 कार्यों की शिकायत प्राप्त हुई है. यथोचित कार्यवाही की गई है.

जैविक खाद खरीदी की जांच

15. (*क्र. 491) **डॉ. बालमुकुन्द देवांगन :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जैविक खाद खरीदी की जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या-क्या खामियां पाई गई एवं किन-किन अधिकारियों पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कर ली जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां. जांच में पाई गई अनियमितता का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में है. दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है.

संयंत्र में दुर्घटना से मृत श्रमिकों को प्रदत्त मुआवजा

16. (*क्र. 571) **श्री धनेन्द्र साहू :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोदावरी पावर एण्ड इस्पात संयंत्र में दिनांक 12-1-2008 को हुई दुर्घटना में सात श्रमिकों की मृत्यु के लिए दोषी किस-किस व्यक्ति

† परिशिष्ट "छः" †† परिशिष्ट "सात"

के ऊपर कौन-कौन सी धारा के तहत् किस तारीख को अपराध पंजीबद्ध किया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" में वर्णित दुर्घटना में मृत एवं घायल श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा मुआवजा एवं सहायता राशि, कितना-कितना, किस-किस व्यक्ति को कब-कब दिया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोदावरी पावर एण्ड इस्पात संयंत्र में दुर्घटना के आरोपी, उनके विरुद्ध पंजीकृत अपराध एवं दिनांक की जानकारी प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ख) दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को प्रबंधन द्वारा मुआवजा एवं सहायता राशि वितरण करने की जानकारी प्रपत्र "ब" में † संलग्न है. दुर्घटना में घायलों को प्रबंधन द्वारा मुआवजा एवं सहायता राशि वितरण करने की जानकारी प्रपत्र "स" में † संलग्न है.

बाईपास रोड निर्माण की प्रगति

17. (*क्र. 66) **श्री सियाराम कौशिक :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन बाईपास रोड पेण्ड्रीरोड-सकरी तथा पेण्ड्रीडीह-पचपेड़ी (मस्तुरी) की एजेन्सी, अनुबंध राशि, कार्यादेश तथा कार्य पूर्णता की तिथि क्या है ? (ख) दिनांक 31-01-2008 की स्थिति में कार्य पूर्णता का प्रतिशत क्या है ? कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) एवं (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में है.

कुदुरमाल से हाटी मार्ग पर अधिग्रहित भूमि संबंधी

18. (*क्र. 677) **श्री ननकीराम कंवर :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में कुदुरमाल से हाटी मार्ग पर किन-किन किसानों की निजी भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की गयी है ? (ख) उक्त भूमि का नामांतरण लोक निर्माण विभाग के नाम पर कब दर्ज हुआ है ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित है.

बी. ओ. टी. आधार पर निर्मित सड़कों में टोल टैक्स की वसूली

19. (*क्र. 587) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31 जनवरी, 2008 की स्थिति में कितनी सड़कें बी. ओ. टी. आधार पर बनायी गयी है, कितनी निर्माणाधीन हैं और कितनी प्रस्तावित हैं ? कि. मी. व लागत सहित ब्यौरा दें ? (ख) बी. ओ. टी. से निर्मित सड़कों पर कहां-कहां पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है और किस-किस दर से ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "अ" में है. (ख) जानकारी ‡ संलग्न प्रपत्र "ब" में है.

जेलों की क्षमता तथा पदस्थ एवं रिक्त स्टॉफ संबंधी

20. (*क्र. 337) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर सेंट्रल जेलों में कैदियों के रखने की क्षमता कितनी-कितनी है ? 31 जनवरी, 2008 की स्थिति में इन जेलों में कितने-कितने कैदी थे ? (ख) जेलों में नक्सली कैदियों की संख्या कितनी-कितनी है ? दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक होने की तिथि को इन जेलों में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों की जानकारी अलग-अलग बतायें ? (ग) दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक के बाद इन जेलों में कितना-कितना स्टॉफ बढ़ाया गया, बतायें ?

---

† परिशिष्ट "आठ" †† परिशिष्ट "नौ" ‡ परिशिष्ट "दस"

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) केन्द्रीय जेल रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में बंदियों को रखे जाने की क्षमता एवं 31 जनवरी 2008 की स्थिति में इन जेलों में परिरूद्ध बंदियों की संख्या का विवरण प्रपत्र "अ" में † संलग्न है. (ख) दिनांक 31-01-2008 की स्थिति में प्रदेश की 09 जेलों में नक्सली बंदियों की संख्या 526 है, जिसका विवरण प्रपत्र "ब" में † संलग्न है. दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक होने की तिथि को इन जेलों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी प्रपत्र "स" में † संलग्न है. (ग) दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक के बाद जिला जेल दंतेवाड़ा में 01 सहायक जेलर एवं 03 प्रहरियों को तैनात किया गया है.

नकली नोट बनाने संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही

21. (*क्र. 361) **श्री उदय मुदलियार :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल कितने लोगों के विरुद्ध नकली नोट बनाने एवं कितने लोगों पर इसमें संलिप्त रहने के कारण कार्यवाही की गई ? कितने रुपयों के नकली नोट बरामद किये गये ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रदेश में 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2007 तक कुल 33 लोगों के विरुद्ध नकली नोट बनाने एवं 209 लोगों पर इसमें संलिप्त रहने के कारण कार्यवाही की गई है. इन आरोपियों से उक्त अवधि में 20,91,100/- (बीस लाख, इक्यानवे हजार एक सौ) रुपयों के नकली नोट बरामद किये गये हैं.

प्रदेश की जेलों में कैदियों से जब्त अवैध सामग्री

22. (*क्र. 220) **श्री नोवेल कुमार वर्मा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश की जेलों में कैदियों के पास से चाकू, मोबाइल सिम कार्ड एवं अन्य अवैध सामान जब्त किए गए हैं ? यदि हां, तो जेल का नाम, जब्त सामान, जब्त करने वाले अधिकारी का नाम क्या-क्या है ? (ख) जब्त अवैध सामानों के जेल परिसर में प्रवेश हेतु दोषी अधिकारियों एवं कैदियों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां तलाशी के दौरान 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी 2008 तक प्रदेश की जेलों में कैदियों के पास से मोबाइल सिम कार्ड एवं कुछ अन्य प्रतिबंधित सामग्री भी जब्त की गई है परन्तु चाकू जब्त नहीं हुआ है. जेल का नाम, जब्त सामान एवं जब्त करने वाले अधिकारी का विवरण प्रपत्र "अ" में †† संलग्न है. (ख) जब्त अवैध सामानों के जेल परिसर में प्रवेश हेतु दोषी अधिकारियों एवं कैदियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र "ब" में †† संलग्न है.

नवागांव से अर्जुनी मोड़ तक के निर्माण कार्य में अनियमितता की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

23. (*क्र. 682) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या राज्यमंत्री, लोक निर्माण महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्तीय वर्ष 2007-08 में विकासखंड कसडोल के अंतर्गत नवागढ़ से सोनाखान होते हुए अर्जुनी मोड़ तक कराये जा रहे निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो कब एवं किनके द्वारा एवं जांच अधिकारी कौन थे ? (ख) उक्त सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही की गई है तो कब एवं किसके द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्यमंत्री, लोक निर्माण (श्री राजेश मूणत) : (क) जी हां. दिनांक 12-12-2007 को माननीय राजकमल सिंघानिया, विधायक, कसडोल द्वारा. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार जांच अधिकारी थे. (ख) उक्त मार्ग के निर्माण में कोई अनियमितता नहीं पायी गई है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

रिश्वत देने के आरोप में दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही

24. (*क्र. 879 **श्री भूपेश बघेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मंत्री जी ने तारांकित प्रश्न संख्या-5 (क्र.-401) दिनांक 30-11-07 को यह उत्तर देते हुए कि प्रकरण की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है तथा जांच के तथ्य सामने आने का

† परिशिष्ट "ग्यारह" †† परिशिष्ट "बारह"

उल्लेख करते हुए, निम्नांकित बिन्दुओं को जांच में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया था :—

1. सांसद हर्ष मंत्री दीपक साहू एवं पवन लखोटिया के बीच दूरभाष पर चर्चा का एक सप्ताह का काल डिटेल निकाला जायेगा और जांच की जायेगी.

2. घटना दिनांक को हर्ष मंत्री ने सांसद या उनके पुत्र से कितने बार दूरभाष पर चर्चा की गई. यदि हां, तो क्या उक्त बिन्दुओं को जांच में शामिल कर, जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक जांच की जायेगी ? (ख) क्या एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस बात की जांच की, कि हर्ष मंत्री ने दुर्ग न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था ? यदि हां, तो क्यों और आवेदन पर न्यायालय ने क्या निर्णय दिया ? (ग) क्या एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह जानकारी प्राप्त की, कि पवन लखोटिया स्लेग डम्प का ठेका प्राप्त करने वाली कम्पनी में कार्यरत है और यदि है, तो किस पद पर ? (घ) एंटी करप्शन ब्यूरो की अब तक की जांच के क्या परिणाम आये हैं ? कृपया विस्तार से बतावें ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां. (1) जी हां. (2) जी हां. उक्त बिन्दुओं को जांच में शामिल कर जांच की जा रही है. (ख) जी हां. श्री हर्ष मंत्री द्वारा मान. विशेष न्यायालय, दुर्ग में अग्रिम जमानत के लिये आवेदन दिया गया था. उसके अधिवक्ता द्वारा बल नहीं दिया जाना व्यक्त किया. अतः बल नहीं दिये जाने से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र को मान. न्यायालय ने खारिज किया. (ग) भिलाई इस्पात संयंत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्लैग डम्प का ठेका प्राप्त करने वाली मे. एस.बी.एल. इन्फास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा श्री पवन कुमार लाखोटिया को कंपनी का डायरेक्टर बताकर गेट पास, फोटो लगाकर, हस्ताक्षर करवाकर, भिलाई स्टील प्लांट से प्राप्त किया गया है. मे. एस. बी. एल. इन्फास्ट्रक्चर कंपनी ने भिलाई स्टील प्लांट को ठेका प्राप्त करते समय जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, उसके अनुसार श्री रामगोपाल माहेश्वरी (भाई) एवं अंजनी कुमार लाखोटिया (भाई) के अलावा आरोपी श्री पवन कुमार लाखोटिया को सेलेरी पैड की-मैनेजमेंट-पर्सनल (Key-management-personel) के पद पर दर्शाया गया है. (घ) प्रकरण विवेचना में है. अतः जांच के परिणामों से अवगत कराना संभव नहीं है.

केन्द्रीय जेल रायपुर में महिला बंदियों हेतु भोजन एवं रहन-सहन की व्यवस्था

25. (*क्र. 579) **श्री त्रिलोचन पटेल** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय जेल रायपुर में कितनी महिला बंदी है ? इनके लिए भोजन एवं रहन-सहन के लिए क्या व्यवस्था है ? (ख) कंडिका "क" की जेल में खाद्य सामग्री कौन सप्लाई करता है और किस आधार पर ?

गृह मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) केन्द्रीय जेल रायपुर में दिनांक 7-2-2008 की स्थिति में 138 महिला बंदी परिरुद्ध है. महिला बंदियों के रहन-सहन एवं भोजन संबंधी जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जेल में खाद्य सामग्री की सप्लाई जेल आपूर्ति नियम के अन्तर्गत कोटेशन एवं टेंडर के द्वारा नियमानुसार न्यूनतम दर वाले व्यापारी/संस्था द्वारा की जाती है.

----

† परिशिष्ट "तेरह"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 177) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	प्रस्तावित कार्य का नाम	प्राक्कलन शासन में प्रस्तुत दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति का विवरण	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पोंता मुक्ता सिंघरा मार्ग लम्बाई 9.00 कि. मी. का उन्नतिकरण.	03-05-06	कार्यवाही प्रचलित.	प्र. मं. ग्रा. स. यो. में आंशिक सम्मिलित होने से प्रमुख अभियंता को दिनांक 27-2-07 को वापस.
2.	जोरवापारा से मुख्य सड़क तक मार्ग निर्माण पुल-पुलिया सहित लम्बाई 5.00 कि. मी.	28-06-07	कार्यवाही प्रचलित.	आदिमजाति कल्याण विभाग के आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है.
3.	पिहरीद से बड़ेरवेली जोगीडीपा मार्ग लम्बाई 9.00 कि. मी.	19-6-07	कार्यवाही प्रचलित.	आदिमजाति कल्याण विभाग के आपत्ति का निराकरण हेतु कार्यपालन अभियंता को दिनांक 14-2-08 को पत्र जारी किया गया है.
4.	चिखली से सिंघरा मार्ग लम्बाई 4.00 कि. मी.	22-09-07	कार्यवाही प्रचलित.	वित्त विभाग की आपत्ति के निराकरण हेतु कार्यपालन अभियंता को पत्र दिनांक 06-12-07 को जारी किया गया है.
5.	भोथिया से भोथियाडीह मार्ग लम्बाई 6.00 कि. मी.	22-09-07	कार्यवाही प्रचलित.	आदिमजाति कल्याण विभाग के आपत्ति का निराकरण करने के लिए कार्यपालन अभियंता चांपा को दिनांक 29-10-07 को पत्र जारी किया गया है.
6.	बाराद्वार से हसौद भटगांव मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण लम्बाई 36.80 कि. मी.	14-01-08	कार्यवाही प्रचलित.	वित्त विभाग को दिनांक 05-02-08 को प्रेषित.
	कुल 6 प्रस्ताव			

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 287) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

आदिवासी लापता युवक-युवतियों की जानकारी जिला-रायगढ़

(अवधि 01-04-06 से 31-03-07 एवं 01-04-07 से 31-01-08 तक)

क्रमांक	थाना	अवधि	लापता युवक			लापता युवती		
			प्रकरण	दस्तयाब	अदम दस्तयाब	प्रकरण	दस्तयाब	अदम दस्तयाब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	कोतवाली	2006-07	0	0	0	3	3	0
		2007-08	1	1	0	0	0	0
2.	कोतरारोड	2006-07	1	1	0	2	2	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
3.	चक्रधर नगर	2006-07	1	1	0	4	4	0
		2007-08	3	1	2	2	2	0
4.	पुसौर	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	0	0	0	1	1	0
5.	सारंगढ़	2006-07	1	0	1	2	2	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
6.	कोसिर	2006-07	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
7.	सरिया	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	0	0	0	1	0	1
8.	बरमकेला	2006-07	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
9.	खरसिया	2006-07	2	2	0	2	1	1
		2007-08	0	0	0	1	1	0
10.	भूपदेवपुर	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	1	1	0	1	1	0
11.	छाल	2006-07	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
12.	घरघोड़ा	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	तमनार	2006-07	2	2	0	1	0	1
		2007-08	1	1	0	1	1	0
14.	धरमजयगढ़	2006-07	1	1	0	0	0	0
		2007-08	5	4	1	3	3	0
15.	लैलुंगा	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	1	1	0	1	1	0
16.	कापू	2006-07	3	3	0	3	3	0
		2007-08	4	3	1	4	3	1
17.	पुंजीपथरा	2006-07	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
18.	अजाक	2006-07	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
	योग	**2006-07**	**11**	**10**	**01**	**22**	**20**	**02**
		2007-08	**16**	**12**	**04**	**15**	**13**	**02**

प्रपत्र "ब"

आदिवासी लापता युवक-युवतियों की जानकारी जिला-जशपुर

(अवधि 01-04-06 से 31-03-07 एवं 01-04-07 से 31-01-08 तक)

क्रमांक	थाना	अवधि	लापता युवक			लापता युवती		
			प्रकरण	दस्तयाब	अदम दस्तयाब	प्रकरण	दस्तयाब	अदम दस्तयाब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	जशपुर	2006-07	3	2	1	6	5	1
		2007-08	0	0	0	7	6	1
2.	बगीचा	2006-07	1	1	0	4	4	0
		2007-08	1	0	1	1	0	1
3.	कुनकुरी	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	0	0	0	2	2	0
4.	बागबहरा	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
5.	पत्थलगांव	2006-07	3	3	0	4	2	2
		2007-08	3	3	0	6	3	3
6.	तपकरा	2006-07	0	0	0	2	2	0
		2007-08	0	0	0	2	2	0
7.	कांसाबेल	2006-07	1	1	0	2	2	0
		2007-08	2	2	0	1	0	1
8.	फरसबहार	2006-07	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
9.	नारायणपुर	2006-07	0	0	0	0	0	0
		2007-08	0	0	0	2	2	0
10.	सन्ना	2006-07	0	0	0	1	1	0
		2007-08	0	0	0	1	1	0
11.	दुलदुला	2006-07	0	0	0	3	3	0
		2007-08	0	0	0	1	0	1
12.	आस्ता	2006-07	0	0	0	4	4	0
		2007-08	0	0	0	0	0	0
	योग	**2006-07**	08	07	01	28	25	03
		2007-08	06	05	01	23	16	07

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 336) के भाग (ख) की जानकारी]

स. क्र. (1)	पदनाम (2)	स्वीकृत पद (3)	भरे पद (4)	रिक्त पद (5)
1.	अधीक्षक जिला जेल	01	0	01
2.	मेडिकल ऑफिसर पूर्णकालीन	01	0	01
3.	पदेन अधीक्षक एवं चिकित्सा अधिकारी (अंशकालीन)	01	01	0
4.	सहायक चिकित्सा अधिकारी	01	01	0
5.	उप जेलर	01	01	0
6.	सहायक जेलर	02	01	01
7.	लेखापाल	01	0	01
8.	शिक्षक	01	0	01
9.	मुख्य प्रहरी	03	03	0
10.	प्रहरी	25	19	06
11.	कम्पाउण्डर (पूर्णकालीन)	01	0	01
12.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	0	01
13.	वाहन चालक वरिष्ठ श्रेणी	01	01	0
14.	वाहन चालक कनिष्ठ श्रेणी	01	0	01
15.	स्वीपर	02	02	0
16.	रिजर्व गार्ड्स मुख्य प्रहरी	01	01	0
17.	रिजर्व गार्ड्स प्रहरी	04	04	0
18.	भृत्य	01	0	01
	योग	49	34	15

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 318) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

विधान सभा क्षेत्र जरहागांव में 2006-07 में स्वीकृत सड़कों एवं पुल-पुलिया का निर्माण कार्यों की जानकारी

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कार्य कराने का माध्यम	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मांडवत प्लांट से लेकर तालाब पारा होते लखन पटेल के घर तक डामरीकरण (वर्ष 2006-07) कार्य का निर्माण.	रु. 36.21 लाख	ठेकेदार	अपूर्ण (कार्य प्रगति पर)
2.	सरगांव पथरिया मार्ग का मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य का निर्माण.	रु. 459.28 लाख	ठेकेदार	अपूर्ण (कार्य प्रगति पर)
3.	धरदेई से पकरिया मार्ग का निर्माण	रु. 154.92 लाख	ठेकेदार	पी. एम. जी. एस. वाई. में स्वीकृत
4.	तखतपुर-कुकुसदा मार्ग का उन्नतिकरण एवं डामरीकरण कार्य का निर्माण.	रु. 176.87 लाख	ठेकेदार	अपूर्ण (कार्य प्रगति पर)
5.	पथरियां-कछारधार मार्ग पर आगर नदी पर पुल निर्माण.	रु. 75.17 लाख	ठेकेदार	अपूर्ण (कार्य प्रगति पर)
6.	तखतपुर-कुरानकापा मार्ग के कि. मी. 2/2 पर मनियारी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.	रु. 135.54 लाख	ठेकेदार	अपूर्ण (कार्य प्रगति पर)
	योग 6 कार्य	**योग रु. 1037.99 लाख**		

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 528) के भाग (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

कोरबा जिले के वर्ष 2007-08 के बजट में सम्मिलित मार्गों के लंबित प्रशासकीय स्वीकृति की विकासखण्डवार जानकारी

लो. नि. वि. कोरबा संभाग कोरबा

क्र. (1)	विकासखण्ड का नाम (2)	वर्ष 2007-08 के बजट में सम्मिलित मार्गों के नाम (3)	प्राक्कलन राशि (4)
1.	करतला	कलगामार से कुदमुरा व्हाया धोबनीमार मार्ग लं. 5.00 कि. मी. (नया कार्य वर्ष 2007-08) (वा. लं. 5.60 कि. मी.).	138.40
योग - करतला		**1 कार्य**	**138.40**
1.	कोरबा	सीपत बलौदा कोरबा मार्ग कि. मी. 43/2 से 53/2 (10.20 कि. मी.) चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कार्य.	908.85
योग - कोरबा		**1 कार्य**	**908.85**
1.	कटघोरा	छुरी से कसरेंगा पुल निर्माण सहित लं. 3.00 कि.मी. (नया कार्य वर्ष 07-08) वास्त. लं. 2.225 किमी.	54.645
2.	कटघोरा	कटघोरा शहर हेतु बाई पास रोड निर्माण (नया कार्य वर्ष 2007-08)	1549.23
3.	कटघोरा	भिलाई बाजार बरभाठा सलोरा पंडरीपानी सिरकिदा नवागांव लं. 10.00 कि. मी.	64.275
योग - कटघोरा		**3 कार्य**	**1668.15**
1.	पोड़ी उपरोड़ा	निरंक	
योग - पोड़ी उपरोड़ा			
1.	पाली	चैतमा से तिवरता के बीच स्थित नाले पर पुल निर्माण	37.21
2.	पाली	डोंगा करतली के बीच डोंगा नाला पर पुल निर्माण	43.90
योग - पाली		**2 कार्य**	**81.11**
महायोग - वर्ष 2007-08		**7 कार्य**	**2796.51**

प्रपत्र "ख"

वर्ष 2007-08 के बजट में सम्मिलित एवं प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम सड़क कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी

लो. नि. वि. कोरबा संभाग कोरबा

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2007-08 के बजट में सम्मिलित मार्गों के नाम	कार्य की वर्तमान स्थिति पूर्ण/प्रगति/अप्रारंभ/ निविदा स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	करतला	कोरबा सक्ती मार्ग लं. 16.60 कि. मी.	प्रारंभ
2.	करतला	कुदमुरा बरपाली श्यांग मार्ग पर 3 नग पुलिया का निर्माण कार्य	कार्य पूर्ण
3.	करतला	कुदमुरा जोगीपाली रामपुर सड़क निर्माण कार्य लं. 820 कि. मी. 23 नग पुलिया निर्माण.	कार्य पूर्ण
4.	करतला	नोनबिर्रा रामपुर बेहरचुंवा मार्ग का उन्नतीकरण लं. 27.00 कि. मी. पुलिया 37 नग	कार्य पूर्ण
5.	करतला	श्यांग बरपाली कुदमुरा तक प्रथम श्रेणी डामरीकरण तथा पुल-पुलिया (प्र. अ. 04-05 में मद क्र. 2/8) लं. 35.00 कि. मी.	प्रारंभ
6.	करतला	लेमरू से बड़गांव तक प्र. श्रे. मार्ग डामरीकरण लं. 6.00 कि. मी. (प्र. अ. 04-05 में मद क्रमांक 2/9).	प्रारंभ
7.	करतला	लेमरू कुदुरवा, अरसेना, लामपहाड़, डोकरमना, कुदरीचिंगार मार्ग प्र.श्रे. डामरीकरण 23.00 कि. मी. एवं पुल पुलिया (प्र. अ. 04-05 में मद क्र. 2/10) (वास्तविक लं. 21.00 कि. मी.).	प्रारंभ
8.	करतला	लेमरू नकिया विमलता श्यांग मार्ग का प्र. श्रे. डामरीकरण 35.00 कि. मी. तथा पुल पुलिया (प्र. अ. 04-05 में मद क्र. 2/11).	प्रारंभ
9.	करतला	बासीन से गिरारी मार्ग प्र. श्रे. डामरीकरण तथा पुल-पुलिया (प्र. अ. 04-05 में मद क्र. 2/12) लं. 4.00 कि. मी. (पुलिया-13 नग, वास्त. लं. 3.63 कि. मी.).	कार्य पूर्ण
10.	करतला	बासीन से बरपाली पहुंच मार्ग लं. 4.6 कि. मी. (नया कार्य वर्ष 2007-08)	अप्रारंभ
11.	करतला	जिला कोरबा के गुरमा से धरमजयगढ़ तक सड़क निर्माण पुल-पुलियों सहित लं. 10.40 कि. मी. (वर्ष 2007-08 के प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधानित).	अप्रारंभ
12.	करतला	चांपिया परसखेत मार्ग का निर्माण, लं. 7.00 कि. मी. (नया कार्य 07-08) वास्तविक लंबाई 4.60 कि. मी.	अप्रारंभ
योग - करतला		**12 कार्य**	**4 कार्य पूर्ण** **5 कार्य प्रारंभ** **3 अप्रारंभ**

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कटघोरा	मुढ़ाली कटसीरा मार्ग लं. 3.00 कि. मी. (नया कार्य वर्ष 07-08) वास्त. लं. 3.325 कि. मी.	अप्रारंभ
योग - कटघोरा		1 कार्य	1 कार्य अप्रारंभ
1.	पोड़ी उपरोड़ा	कोरबी, चोटिया चिरमिरी मार्ग में सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य लं. 31.60 कि. मी.	प्रारंभ
2.	पोड़ी उपरोड़ा	कोरबी से बोकरामुड़ा लं. 3.00 कि. मी. (नया कार्य वर्ष 2007-08) (वा. लं. 3.50 कि. मी.)	अप्रारंभ
3.	पोड़ी उपरोड़ा	मुख्य सड़क पसान से खोड़ी कुम्हारी दर्री (कुम्हारी सानी) डब्ल्यू. बी. एम. एवं नया डामरीकरण सड़क निर्माण लं. 5.20 कि. मी. (नया कार्य वर्ष 2007-08)	अप्रारंभ
4.	पोड़ी उपरोड़ा	कोटमी कटघोरा धरमजयगढ़ पत्थलगांव लवाकेरा मार्ग का निर्माण (उरगा से हाटी 46.00 कि. मी. इस संभाग में)	कार्य पूर्ण
5.	पोड़ी उपरोड़ा	कोटमी पसान कटघोरा मार्ग का निर्माण (उन्नयन कार्य) लं. 80.20 कि. मी. (कि. मी. 282/8 से 362/8 तक).	कार्य पूर्ण
योग - पोड़ी उपरोड़ा		5 कार्य	2 कार्य पूर्ण (1 कार्य बाल्को द्वारा पूर्ण) 1 कार्य प्रारंभ 2 कार्य अप्रारंभ
1.	पाली	उड़ता से भादाकछार पहुंच मार्ग लं. 4.00 कि. मी. (वा. लं. 2.622 कि. मी.)	कार्य पूर्ण
2.	पाली	चोढ़ा से मुरली पहुंच मार्ग पुल पुलियों सहित. लं. 3.00 कि. मी.	प्रारंभ
3.	पाली	रतिजा से तीनडिकियापारा पहुंच मार्ग लंबाई 4.00 कि. मी. (वास्तविक लंबाई 3.60 कि. मी.)	कार्य पूर्ण
4.	पाली	राहा से रावा डब्ल्यू. बी. एम. डामरीकृत सड़क निर्माण 12.00 कि. मी. पुल पुलिया सहित (नया कार्य वर्ष 2007-08).	अप्रारंभ
5.		नेवसा से जोरहाडबरी मार्ग, लंबाई 4.00 कि. मी. (नया कार्य 07-08) वास्तविक लंबाई 3.95 कि. मी.	अप्रारंभ
योग - पाली		5 कार्य	2 कार्य पूर्ण 1 कार्य प्रारंभ 2 कार्य अप्रारंभ

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोरबा	निरंक	
योग - कोरबा		**निरंक**	
महायोग -	करतला, कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा एवं पाली.	**23 कार्य**	8 कार्य पूर्ण 7 कार्य प्रारंभ 8 कार्य अप्रारंभ

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 422) के भाग (क) की जानकारी]

स. क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	अधिकारियों/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)
1.	श्री बी. एस. मानकर, उप जेलर	जेल मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक 123/स्थापना/दिनांक 17-12-07 द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा थाना दन्तेवाड़ा के अपराध क्रमांक 141/2007 धारा 147, 148, 149, 294, 506 बी, 307, 398, 224, 128, 129, 136 भा. द. वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दन्तेवाड़ा के आदेश पर दिनांक 18-12-2007 को जिला जेल दन्तेवाड़ा में न्यायिक अभिरक्षा में प्रविष्ट कराया गया जिसे दिनांक 27-12-2007 को केन्द्रीय जेल जगदलपुर स्थानांतरित किया गया है. वर्तमान में श्री बी. एस. मानकर केन्द्रीय जेल जगदलपुर में परिरूद्ध है. विभागीय जांच जारी है.
2.	श्री आर. आर. राय, सहायक जेलर	जेल मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक 124/स्थापना/दिनांक 17-12-2007 द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है. विभागीय जांच जारी है.
3.	श्री शंभूराम साहू, मुख्य प्रहरी	अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर के आदेश क्रमांक 119/स्थापना/दिनांक 17-12-07 द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है. विभागीय जांच जारी है.
4.	श्री जयप्रकाश कन्नौजे, मुख्य प्रहरी	अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर के आदेश क्रमांक 120/स्थापना/दिनांक 17-12-07 द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है. विभागीय जांच जारी है.
5.	श्री सुनील पुजारी, प्रहरी	अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर के आदेश क्रमांक 121/स्थापना/दिनांक 17-12-07 द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है. विभागीय जांच जारी है.
6.	श्री राजकुमार सोरी, प्रहरी	अधीक्षक केन्द्रीय जेल जगदलपुर के आदेश क्रमांक 122/स्थापना/दिनांक 17-12-07 द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित की गई है. विभागीय जांच जारी है.
7.	श्री पी. डी. वर्मा, जेल उपमहानिरीक्षक, जेल मुख्यालय, रायपुर.	छत्तीसगढ़ शासन, गृह (जेल) विभाग के आदेश क्र. आर. 1918/जेल/2007 दिनांक 16-12-2007 द्वारा "पर्यवेक्षण की कमी" के कारण निलंबित किया गया था. तत्पश्चात् शासन के आदेश क्र. 113/1390/जेल/07 दिनांक 23-1-2008 द्वारा निलंबन से बहाल किया जा चुका है. विभागीय जांच जारी है.

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 523) के भाग (ख) की जानकारी]

वर्ष 2001-02 में विभाग/संस्थाओं पदस्थ अधिकारियों का नाम एवं पदनाम

कृषि विभाग

क्रमांक (1)	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम (2)	पदनाम (3)	पदस्थी जिला (4)
1.	श्री जी. पी. पाण्डेय	अपर संचालक, कृषि	संचालनालय, कृषि छ. ग. रायपुर
2.	श्री एल. आर. गौतम	उप संचालक	रायपुर
3.	श्री बी. एस. धुर्वे	उप संचालक	रायपुर
4.	श्री एस. एल. तिवारी	उप संचालक	महासमुंद
5.	श्री पी. आर. कुंदन	उप संचालक	बिलासपुर
6.	श्री सी. एल. चौधरी	उप संचालक	दुर्ग
7.	श्री सी. एल. चौधरी	उप संचालक	राजनांदगांव
8.	श्री एम. के. चन्द्राकर	उप संचालक	राजनांदगांव
9.	श्री पी. गुजरे	उप संचालक	जगदलपुर
10.	श्री आर. के. गोनेकर	उप संचालक	रायगढ़

छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ

1.	श्री ए. के. सिंह	उप प्रबंधक	रायपुर
2.	श्री ए. के. शर्मा	उप प्रबंधक	महासमुंद
3.	श्री आर. एस. चक्रधारी	उप प्रबंधक	धमतरी
4.	श्री जान मोहम्मद	उप प्रबंधक	धमतरी
5.	श्री जान मोहम्मद	उप प्रबंधक	धमतरी
6.	श्री के. एन. शर्मा	उप प्रबंधक	बिलासपुर
7.	श्री जी. पी. सोनी	उप प्रबंधक	दुर्ग
8.	श्री एफ. ए. खान	उप प्रबंधक	राजनांदगांव
9.	श्री सी. एल. दिल्लीवार	उप प्रबंधक	रायगढ़
10.	श्री के. एन. शर्मा	उप प्रबंधक	जगदलपुर
11.	श्री आर. एस. चक्रधारी	उप प्रबंधक	जगदलपुर

छ. ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या.

1.	श्री एस. के. शुक्ला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	राजनांदगांव
2.	श्री एम. एस. परिहार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	बिलासपुर
3.	श्री एस. एन. पाढ़ी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	रायपुर
4.	श्री के. एन. दिवान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	रायपुर
5.	श्री के. के. वर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	रायपुर
6.	श्री एस. के. शुक्ला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	रायपुर
7.	श्री एन. पी. साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	रायगढ़
8.	श्री सी. पी. यदु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जगदलपुर
9.	श्री सी. एस. शुक्ला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	दुर्ग

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 571) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

आरोपियों की सूची

(क) दिनांक 14-1-2008 को थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 25/08 धारा 304 ए, 34 भा. द. वि. के अंतर्गत अपराधी निम्न है :—

(1) श्री एस. के. मिश्रा पिता रामकृष्ण 43 वर्ष साकिन खम्हारडीह थाना पंडरी, जिला रायपुर छ. ग.

(2) श्री बी. पी. सिंह पिता गजाधर सिंह 46 साल साकिन लोधीपारा कांपा थाना पंडरी, जिला रायपुर छ. ग.

(3) श्री मोहित वर्मा पिता वेदराम वर्मा 36 वर्ष साकिन शिवाजी नगर खुर्सीपार थाना छावनी, जिला दुर्ग छ. ग.

(ख) दिनांक 29-1-08 को श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण अंतर्गत कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7 ए (1), 7 ए 2 (सी), 36 (2) (बी) एवं दिनांक 14-2-08 को 7ए 2(ए), 7ए 2(सी), 36 (2)(ए) व नियम एवं नियम 73 के अंतर्गत अपराधी :—

श्री बी. पी. सिंह, अधिभोगी एवं प्रबंधक गोदावरी पावर एण्ड इस्पात संयंत्र सिलतरा, जिला रायपुर छ. ग.

प्रपत्र "ब"

मृतकों के आश्रितों को प्रबंधन द्वारा वितरित मुआवजा एवं सहायता राशि

मुआवजा			सहायता			
मृतक का नाम	मृतक के आश्रित सदस्य का नाम जिन्हें मुआवजा दी जानी है	मुआवजा राशि	मृतक का नाम	मृतक के आश्रित सदस्य का नाम जिन्हें मुआवजा दी जानी है	राशि	भुगतान का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उत्तम निषाद	शंकर निषाद (पिता)	निरंक	उत्तम निषाद	शंकर निषाद (पिता)	50,000/-	13-1-08
श्याम सुंदर पटेल	नोहर सिंह पटेल (चाचा ससुर)	निरंक	श्याम सुंदर पटेल	नोहर सिंह पटेल (चाचा ससुर)	50,000/-	13-1-08
ईश्वर लाल पटेल	माखनलाल पटेल (भाई)	निरंक	ईश्वरलाल पटेल	माखनलाल पटेल (भाई)	50,000/-	13-1-08
बाल्मिकी लोधी	राजकुमार लोधी (पिता)	निरंक	बाल्मिकी लोधी	राजकुमार लोधी (पिता)	50,000/-	13-1-08
वेदू राम साहू	ज्ञानचंद साहू (भाई)	निरंक	वेदू राम साहू	ज्ञानचंद साहू (भाई)	50,000/	13-1-08
अमीर चंद लोधी	बलदऊ राम लोधी (भाई)	निरंक	अमीर चंद लोधी	बलदऊ राम लोधी (भाई)	50,000/-	13-1-08
सुदामा साहू	अर्जुन साहू (भाई)	निरंक	सुदामा साहू	अर्जुन साहू (भाई)	50,000/-	13-1-08
रूपेन्द्र वर्मा	लल्लाराम (पिता)	निरंक	रूपेन्द्र वर्मा	लल्लाराम (पिता)	50,000/-	13-1-08

टीप :— श्रम न्यायालय रायपुर में 8 मृतक मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा राशि 03 लाख के दर से कुल 24 लाख रुपये दिनांक 16-1-08 को जमा किया गया है.

प्रपत्र "स"

घायलों को प्रबंधन द्वारा वितरित मुआवजा एवं सहायता राशि

घायलों को मुआवजा राशि		घायलों को वितरित सहायता राशि		
नीलकंठ पिता मोहन लाल साहू	निरंक	नीलकंठ पिता मोहन लाल साहू	30,000/-	18-1-08
परस राम ठाकुर पिता अवध राम ठाकुर	निरंक	परस राम ठाकुर पिता अवध राम ठाकुर	30,000/-	18-1-08

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 66) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

क्र.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	अनुबंध की राशि	कार्यादेश दिनांक	कार्यपूर्णता का दिनांक	कार्यपूर्णता का प्रतिशत	भुगतान की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पेण्ड्रारोड संकरी मार्ग लम्बाई 16.30 कि. मी.	मेसर्स बनोवारीलाल अग्रवाल प्रा. लि.	रु. 1376.85 लाख	23-05-06	23-03-08	50 प्रतिशत	647.44 लाख
2.	पेण्ड्रारोड दर्रीघाट मार्ग लम्बाई 24.66 कि. मी.	मेसर्स एच. एस. सी. एल.	रु. 2285.57 लाख	09-05-07	28-11-08	1 प्रतिशत	22.47 लाख

नोट :— पेण्ड्रारोड से पचपेढ़ी (मस्तुरी) का नाम का कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है.

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 587) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

31 जनवरी 2008 की स्थिति में बी. ओ. टी. आधार पर निर्मित सड़कों की जानकारी

क्रमांक (1)	मार्ग का नाम (2)	कुल लंबाई (3)	कुल लागत (4)
	(i) बी. ओ. टी. के आधार पर निर्मित सड़कें		
1.	रा. रा. क्र. 6 के कि. मी. 308/8 से कि. मी. 323/4 दुर्ग बायपास मार्ग.	18.10 कि. मी.	115.30 करोड़
2.	रा. रा. क्र. 6 के कि. मी. 282 से 308/6 रायपुर दुर्ग खण्ड में चार लेन सड़क कार्य.	26.60 कि. मी.	50.00 करोड़
3.	बिलासपुर कटघोरा चांपा मार्ग	151.00 कि. मी.	25.10 करोड़
4.	अंबिकापुर रायगढ़ मार्ग कि. मी. 84/6 से 193/10	109.60 कि. मी.	11.95 करोड़
	(ii) बी. ओ. टी. के आधार पर निर्माणाधीन सड़कें		
1.	रा. रा. क्र. 6 के कि. मी. 239 से 281-बी तक आरंग-रायपुर सेक्शन में चार लेन सड़क कार्य.	45.00 कि. मी.	525.78 करोड़
2.	रा. रा. क्र. 6 के कि. मी. 323/6 से 405/8 तक दुर्ग-बागनदी सेक्शन में चार लेन सड़क कार्य.	82.6 कि. मी.	464.00 करोड़
	(iii) बी. ओ. टी. के आधार पर प्रस्तावित सड़कें		
	------------------- शून्य -------------------		

प्रपत्र "ब"

बी. ओ. टी. से निर्मित सड़कों पर जहां टॉल टैक्स वसूला जा रहा है एवं दरें

क्र.	मार्ग का नाम	टॉल टैक्स वसूली का स्थान	वसूली की जाने वाली दरें		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	रा. रा. मार्ग क्र. के कि. मी. 308/8 से कि. मी. 323/4 दुर्ग बायपास मार्ग	कि. मी. 312/2	(i)	2 एक्सल,	103
				प्रत्येक अतिरिक एक्सल के	51
			(ii)	एल. सी. व्ही.	68
			(iii)	कार	34
			(iv)	3 व्हीलर	13
			(v)	2 व्हीलर	9
			(vi)	अर्थमूविंग या निर्माण से संबंधित वाहन.	205
2.	रा. रा. मार्ग क्र. 6 के कि. मी. 282 से 308/6=26.60 कि. मी. (रायपुर दुर्ग खण्ड) में चार लेन सड़क कार्य.	(i) कि. मी. 285/4 (कुम्हारी) (ii) कि. मी. 307/4 (कोसानाला)	(i)	मोटर कार, टेक्सी, जीप, पिक-अप वेन, स्टेशन वैगन, टेम्पो, ऑटो-रिक्शा, तिपहिया स्कूटर अथवा ट्रेलर युक्त अथवा ट्रेलर रहित अन्य स्वचालित हल्के यान.	18
			(ii)	हल्के वाणिज्यिक यान	30
			(iii)	बस, ट्रक और माल अथवा यात्रियों से लदे अथवा बगैर लदे ट्रक ट्रेलर, संयोजन सहित अन्य भारी यान.	61
			(iv)	अन्य यंत्र नोदित यान जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है. जैसे-भारी यान, मशीनरी और अर्थमूविंग उपस्कर.	133
3.	बिलासपुर-कटघोरा-चांपा मार्ग लंबाई 151 कि. मी.	(i) कि.मी. 33/4 रैनपुर (ii) कि. मी. 52/8 पाली (iii) कि. मी. 78/10 कटघोरा-"ए" (iv) कि. मी. 4/6 कटघोरा-बी (v) कि. मी. 6/4 उरगा (चोरभट्ठी के पास) (vi) कि. मी. 30/5 चांपा	(i)	टैम्पो, टैक्सी, मिनीबस, मेटाडोर या समकक्ष वाहन.	30
			(ii)	प्राइवेट कार, जीप, पिकअप	16
			(iii)	ट्रक खाली एवं बस भरी अथवा खाली.	50
			(iv)	ट्रक लोडेड	65
			(v)	मल्टी एक्सल ट्रक ट्रेलर	80
			(vi)	अर्थमूविंग मशीनरी प्रति टन	10
4.	अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग कि. मी. 84/6 से 193/10=109.60 कि. मी.	(i) कि. मी. 189/4 (उर्दना) (ii) कि. मी. 162/8 (घरघोड़ा) (iii) कि. मी. 90/4 (बाकारुमा)	(i)	टैम्पो, टैक्सी, मिनीबस, मेटाडोर या समकक्ष वाहन.	30
			(ii)	प्राइवेट कार, जीप, पिकअप	16
			(iii)	ट्रक खाली एवं बस भरी अथवा खाली.	50
			(iv)	ट्रक लोडेड	65
			(v)	मल्टी एक्सल ट्रक ट्रेलर	80
			(vi)	अर्थमूविंग मशीनरी प्रति टन	10

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 337) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

केन्द्रीय जेल रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में बंदियों को रखे जाने की क्षमता एवं 31 जनवरी 2008 की स्थिति में इन जेलों में परिरूद्ध बंदियों की संख्या का विवरण :—

क्र.	जेल का नाम		बंदी क्षमता	31-01-2008 को स्थिति में निरुद्ध बंदी संख्या
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर		1130	2229
2.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर		628	1827
3.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर		648	1456
4.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर		543	1317
		योग	**2949**	**6829**

प्रपत्र "ब"

दिनांक 31-01-2008 की स्थिति में जेलों में निरुद्ध नक्सली बंदियों की जेलवार जानकारी :—

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	नक्सली बंदियों की संख्या (3)
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर	58
2.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	02
3.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	302
4.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	61
5.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	01
6.	जिला जेल कांकेर	87
7.	जिला जेल दंतेवाड़ा	04
8.	जिला जेल जशपुरनगर	01
9.	उप जेल रामानुजगंज	10
	योग	**526**

प्रपत्र "स"

दन्तेवाड़ा जेल ब्रेक की तिथि 16-12-2007 को निम्न जेलों में स्वीकृत, कार्यरत, रिक्त पदों संबंधी जानकारी :—

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	स्वीकृत (3)	कार्यरत (4)	रिक्त (5)
1.	केन्द्रीय जेल रायपुर	213	180	34
2.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	116	86	31
3.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	107	79	28
4.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	77	32	45
5.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	73	41	32
6.	जिला जेल कांकेर	30	25	05
7.	जिला जेल दंतेवाड़ा	49	34	15
8.	जिला जेल जशपुरनगर	33	13	20
9.	उप जेल रामानुजगंज	35	15	20

परिशिष्ट "बारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 220) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

स. क्र. (1)	जेल का नाम (2)	जब्त सामान (3)	जब्तकर्ता अधिकारी का नाम (4)
1.	केन्द्रीय जेल बिलासपुर	21 नग मोबाईल, 01 नग सिम कार्ड, 04 नग चार्जर, 03 बाटल शराब, मटन, नशीली गोलियां, 1580/- नगद.	जेल अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया.
2.	जिला जेल रायगढ़	01 नग मोबाईल एवं चार्जर	शासन द्वारा गठित फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा.
3.	उप जेल कटघोरा	02 नग मोबाईल	पुलिस अधीक्षक, कोरबा
4.	केन्द्रीय जेल रायपुर	3 किलो गांजा, शराब 1 बाटल, 02 नग मोबाईल	थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर रायपुर, श्री सी. एल. कोल उप जेलर, श्री राजेश नेताम मुख्य प्रहरी, श्री सुशीलधर दीवान प्रहरी, श्री विलटन मसीह मुख्य प्रहरी, श्री आर. के. एस. सिंह, जेलर, श्रीमति सफीना हसन, म. प्र. श्रीमति हेलन चौबे म. प्र.
5.	केन्द्रीय जेल अंबिकापुर	हीटर 02 नग, डायरी 22 नग, मोबाईल चार्जर 04 नग, इयर फोर वायर 01 नग, नगद राशि 50 रुपये, चीलम 02 नग, गुलैल 02 नग, सी. डी. वायर 01 नग, पानी गर्म करने का हीटर 01 नग, कैंची 03 नग, मोबाईल 04 नग, सी. डी. 07 नग, छोटा पट्टा 01 नग, स्पीकर बाक्स 01 नग, साउंड बाक्स 01 नग.	जिला प्रशासन
6.	उप जेल सूरजपुर	डिब्बे में विस्फोटक सामान, मोबाईल	डॉ. के. के. गुप्ता, सहायक महानिरीक्षक जेल
7.	केन्द्रीय जेल दुर्ग	08 नग मोबाईल, गांजा 170 ग्राम	मुख्य प्रहरी घनश्याम साहू

प्रपत्र "ब"

1. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में परिरूद्ध विचाराधीन बंदी विजय केसरवानी द्वारा 01 नग मोबाईल बिना सिम कार्ड एवं बैट्री जमा किया गया इस संबंध में श्री भरत सेन, जेल मेन गेट इंचार्ज को भविष्य के लिए सचेत किया गया.

2. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में परिरूद्ध दण्डित बंदी धर्मेन्द्र उर्फ गुड्डा आ. विरेन्द्र सिंह की तलाशी के दौरान 01 नग मोबाईल, नशीली गोली नाईट्रा, 01 बोतल शराब तथा 450 रुपये जब्त किया गया इस संबंध में उक्त बंदी की 08 दिवस की अर्जित माफी काटी गई.

3. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में निरुद्ध बंदी नारायण सन्याल से 01 नग मोबाईल जब्त किया गया इस संबंध में श्री रामाधार सिन्हा मुख्य प्रहरी एवं श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा प्रहरी को निलंबित किया गया तथा उनका निलंबन समाप्त कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही जारी है.

4. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में परिरूद्ध दण्डित बंदी रहीम खान आ. इब्राहिम खान से 01 नग शराब की बोतल एवं दो किलो कच्चा मटन जेल के मेनगेट से जब्त किया गया इस संबंध में उक्त बंदी की 07 दिवस की माफी काटी गई तथा श्री दिलीप केरकेट्टा, प्रहरी की 01 वर्ष की वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई.

5. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में परिरूद्ध दण्डित बंदी पप्पू उर्फ नरेश आ. शरणसिंह से एक बोतल शराब जब्त किया गया इस संबंध में उक्त बंदी की 04 दिन की माफी काटी गई.

6. केन्द्रीय जेल बिलासपुर में परिरूद्ध दण्डित बंदी बीरेश आ. रामनरेश से नशीली गोली नाईट्रा जब्त की गई उक्त संबंध में बंदी की 08 दिवस की माफी काटी गई.

7. उप जेल कटघोरा में पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में 02 नग मोबाईल जब्त किया गया इस संबंध में उप जेलर श्री जी. एस. मरकाम को सेवा से हटाया गया एवं प्रहरी श्री संदीप महेश्वरी की सेवा समाप्त की गई.

8. जिला जेल जशपुर में अवैध सामग्री पाये जाने पर प्रभारी जेलर श्री आर. पी. तुमनिया के विरुद्ध जांच जारी है.

9. उप जेल सूरजपुर में एक बंदी के पास डिब्बे में विस्फोटक सामान एवं 01 नग मोबाईल जब्त होने के कारण श्री एस. एल. नायक प्रभारी जेलर उप जेल सूरजपुर को सेवा से पृथक किया गया.

परिशिष्ट "तेरह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 579) के भाग (क) की जानकारी]

महिला बंदियों का भोजन जेल नियम 531 में निर्धारित मापदण्ड अनुसार जेल के महिला खण्ड में ही महिला बंदियों द्वारा ही पकाया जाता है एवं वितरित किया जाता है. महिला बंदियों की निवास हेतु महिला खण्ड में 04 बैरिक्स है तथा टायलेट, बाथरूम आदि है. पानी की पर्याप्त व्यवस्था है. महिला खण्ड में 01 पूर्णकालिक लेडी डाक्टर पदस्थ है तथा 02 नर्स भी है जो महिला बंदियों का उपचार करते हैं. महिला बंदियों के शिक्षा हेतु सहायक शिक्षिका पदस्थ है जो उन्हें पढ़ाने-लिखाने का कार्य संपादित करती है. इन बंदियों हेतु खेल-कूद, मनोरंजन एवं प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है.